राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 4 ( ) परावि/पीसी/नि.रा.यो./2011/103 जयपुर दिनांक 13/7/12

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद समस्त।

विषय :– निर्बन्ध राशि (पंचायती राज संस्थाओ हेतु) वर्ष 2011–12 हेतु जारी दिशा–निर्देशों के संबंध मे।

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभागीय पत्र क्रमांक 857 दिनांक 9.9.11 द्वारा जारी निर्बन्ध राशि (पंचायती राज संस्थाओं हेतु) योजना के दिशा–निर्देश के बिन्दू संख्या 5–सम्पादित कराये जाने वाले कार्य के बिन्दु–(ग) 2 में निम्नानुसार अतिरिक्त प्रावधान किया जाता है :–

"सम्पादित कराये जाने वाले कार्यो में स्थाई प्रकृति के समस्त कार्य जो नरेगा योजना में अनुमत है, पर सामग्री मद में 40प्रतिशत से अधिक व्यय होने वाली राशि का भुगतान निर्बंध राशि से हो सकेगा। "

उक्त अतिरिक्त प्रावधान वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 331200553 दिनांक 02.07.12 द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में किया जाता है।

शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख शासन सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, मा0 मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
4. निजी सचिव मुख्य सचिव, राजस्थान।
5. निजी सचिव अतिरिक्त मुख्य सचिव (विकास) राजस्थान।
6. निजी सचिव अति0 मुख्य सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
7. निजी सचिव शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायती राज विभाग।
8. आयुक्त, मनरेगा, राजस्थान, जयपुर।
9. सयुक्त शासन सचिव, वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग।
10. उप शासन सचिव, वित्त (व्यय–5) विभाग।
11. जिला प्रमुख जिला परिषद समस्त।
12. जिला कलक्टर समस्त।
13. अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।
14. सहायक अभियन्ता(सी.डी.), जिला परिषद समस्त।
15. विकास अधिकारी पंचायत समिति समस्त को भेज कर लेख है कि उक्त दिशा–निर्देशों को ग्राम पंचायत स्तर पर भी प्रेषित करावे।
16. समस्त अधिकारीगण पंचायती राज मुख्यलय।
17. प्रोग्रामर ,पंचायती राज मुख्यालय को वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।

अधिशाषी अभियन्ता (टी.सी.)
13/7